



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 5, 2011/वैशाख 15, 1933

No. 815]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2011/VAISAKHA 15, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2011

का.आ. 1004(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. श्री आर. नागेन्द्रन, फ्लैट-बी, 46/40, एमजीआर रोड, कलाक्षेत्र कालोनी, बेसंत नगर, चेन्नई-600090
2. श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1523, सेक्टर-सी, पाकेट-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-70
3. श्री विजय शर्मा, 113, न्यू मोतीबाग, नई दिल्ली-23
4. श्री गोपाल कृष्ण पाण्डेय, 494, बी-8, पर्यटन विहार, वसुन्धरा एन्क्लेव, दिल्ली-96

[फा. सं. 17/11/2011-पीएल/एनजीटी]

राजीव गाँबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2011

S.O. 1004(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints the following persons as the Expert Members of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification for a period of five years or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier, namely :—

1. Shri R. Nagendran, Flat-B, 46/40, MGR Road, Kalakshetra Colony, Besant Nagar, Chennai -600090
2. Shri Devendra Kumar Agrawal, 1523, Sector C, Pocket-I, Vasant Kunj, New Delhi- 70
3. Shri Vijai Sharma, 113, New Motibagh, New Delhi- 23.
4. Shri Gopal Krishna Pandey, 494, B-8, Paryatan Vihar, Vasundhara Enclave, Delhi- 96

[F.No. 17/11/2011-PL/NGT]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2011

का.आ. 1005(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. न्यायमूर्ति श्री एम.एन. कृष्णन, केरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश
2. न्यायमूर्ति श्री ए. सुर्यनारायणन नायडु, उड़ीसा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश
3. न्यायमूर्ति श्री सी. वेंकट रामुलु, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश

[फा. सं. 17/11/2011-पीएल/एनजीटी]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2011

S.O. 1005(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints the following persons as the Judicial Members of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification for a period of five years or till they attain the age of sixty-seven years, whichever is earlier, namely:—

1. Shri Justice M.N. Krishnan, former Judge of High Court of Kerala
2. Shri Justice A. Suryanarayan Naidu, former Judge of High Court of Orissa
3. Shri Justice C. Venkata Ramulu, former Judge of High Court of Andhra Pradesh

[F.No. 17/11/2011-PL/NGT]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.